भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan
लिन्क रोड नं0–3, Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक: 6-MPB 039/2011-BHO/ 237, दि0. 06-2-2012,

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल (म0प्र0) ।

विषय: सीधी जिले मे जे0पी0 सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निगरी अन्तर्गत गोपद नदी से जल प्रदाय संबंधी डायवर्सन वियर निर्माण हेतु कक्ष कमांक 1378 में 2.00 हे0 आरक्षित वनभूमि जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6–एमपीबी 039/2011–बीएचओ/3213 दिनांक 09/06/2011

2 अपर प्रधान मु0व0सं0(भू–प्रबंध),एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 का पत्रांक एफ–3/103/09/ 10–11/2066 दिनांक 10/10/2011

3. Officer on Special Duty, MoEF (Ad-hoc CAMPA), MoEF, New Delhi letter no. 1-20/2010-CAMPA dated 18/10/2011

महोदय,

कृपया अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के उक्त विषयक पत्र कमांक एफ–3/103/09/10–11/11/763 दिनांक 17/3/11 एवं समसंख्यक पत्रांक 1549 दिनांक 26/5/11 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तो के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से सीधी जिले में जे0पी0 सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निगरी अन्तर्गत गोपद नदी से जल प्रदाय संबंधी डायवर्सन वियर निर्माण हेतु कक्ष कमांक 1378 में 2.00 हे0 आरक्षित वनभूमि जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है:–

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 2.02 हे0 गैर वनभूमि (खसरा कमांक 134, 135, ग्राम वन समिति–बधवार, परिक्षेत्र–चुरहट, जिला–सीधी) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

ब) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा ।

स) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत जारी मूल अधिसूचना की एक प्रति उपयोगकर्ता अभिकरण को यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी ।

....2

3. निर्माण के दौरान वनक्षेत्रों से कोई निर्माण सामग्री अथवा मिट्टी प्राप्त नहीं की जायेगी न ही निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाला कचरा (debris) वनक्षेत्रों में फेंका जायेगा ।

4. संलग्न वनक्षेत्र में परियोजना के कियान्वयन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये कोई अतिरिक्त या नये मार्ग का निर्माण नहीं किया जायेगा ।

5. वनक्षेत्र में श्रमिकों के कैम्प स्थापित नहीं किये जायेंगे ।

6. उपयोगकर्ता अभिकरण सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा अथवा उसके द्वारा कार्य पर लगाये गये मजदूरों, ठेकेदारों द्वारा वनों तथा वन्यप्राणियों को कोई हानि नहीं की जाती ।

7. उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा शर्तों के पालन के विषय में वार्षिक स्वयं मूल्यांकन प्रतिवेदन नोडल अधिकारी, म0प्र0 तथा क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को प्रस्तुत किया जायेगा ।

8. वनीकरण, वन्यप्राणियों अथवा वनस्पितियों के संरक्षण तथा प्रबंधन के हित में केन्द्र शासन अथवा मुख्य वन संरक्षक, पश्चिम क्षेत्रीय, भोपाल द्वारा समय–समय पर अधिरोपित की गयी अन्य शर्तों का पालन उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा ।

9. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा ।

10. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का पालन न होने की स्थिति में संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत 25/10/1992 को जारी दिशा निर्देशों की कंडिका 1.9 के अनुसार राज्य शासन के माध्यम से इस कार्यालय को सूचना दी जायेगी । इन शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लघंन को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन मानकर कार्यवाही की जायेगी ।

राज्य शासन उपरोक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा ।

भवदीय,

O/c

(प्रदीप वासुदेव)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक (एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–सर्वे) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम सीधी वनमण्डल, जिला–सीधी, मध्यप्रदेश ।
4. जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, जा हाऊस–63, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली–110057
5. आदेश पत्रावली ।

O/c

(प्रदीप वासुदेव)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)